निविदा दस्तावेज़

वर्ष 2024-25 के लिए निरीक्षण वाहन किराये पर लेने हेतु

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद-500004

https://cag.gov.in/ag/telangana/en

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना,

हैदराबाद-500004

निविदा संख्या जीए -II/निरीक्षण वाहन/2024-25/

निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद का कार्यालय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद के संचालनात्मक उपयोग के लिए केवल पेट्रोल में मारुति सीआईएजेड, होंडा सिटी या वरना जैसे वैध वाणिज्यिक परमिट वाले तीन वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

बोली दस्तावेज के साथ **डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में **₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)** की **बयाना राशि जमा (EMD)** करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट **वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (बिल्स),** महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद के कार्यालय के पक्ष में बनाया जाएगा। बिना EMD वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस विषय पर किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। EMD के लिए छूट केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन होगी।

निविदा दस्तावेज के साथ निर्देशों तथा निबंधन व शर्तें GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड अच्छी तरह से जांच लें।

प्राप्त बोलियों पर निर्णय बोलीदाताओं को केवल ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, यदि आवश्यक हो। यह कार्यालय निविदा दस्तावेज में किसी भी निबंधन और शर्त को संशोधित करने/वापस लेने या बिना कोई सूचना दिए या कोई कारण बताए किसी भी या पूरी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

हस्ता/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार

(प्रशासन)

निबंधन और शर्तें

निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित होंगी:

1. वाहनों की आपूर्ति के लिए समझौते की अवधि निविदा को अंतिम रूप देने की तारीख से 31 मार्च 2025 तक है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन पर कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार, लिखित रूप में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर, अवधि को अन्य बारह (12) महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. वेंडर का ट्विन-सिटी (अर्थात हैदराबाद और सिकंदराबाद) में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। डुओ-सिटी में कार्यालय के पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. सेवा प्रदाता अनुबंध को उप-किराए पर नहीं दे सकते। सेवा प्रदाता अधिमानतः प्रदान किए जा रहे वाहनों का स्वामी हो या अपने/**साझेदार/कंपनी के नाम** पर दिए गए वाहनों का संग्रहकर्ता होना चाहिए। उसके पास कम से कम 6 ऐसे वाहनों का बेड़ा होना चाहिए। सेवा प्रदाता को वाहनों के साथ उपयुक्त चालक भी नियुक्त करने होंगे।

4. एजेंसी का अपना बैंक खाता होना चाहिए। बैंक द्वारा जारी पिछले एक वर्ष के खाते रखरखाव की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

5. बोली दस्तावेज के साथ पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

6. बोलीदाता को **₹10,000 (दस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (EMD)** जमा करानी होगी, जो पीएओ, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हैदराबाद के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तेलंगाना में देय होगी। बिना ईएमडी के बोली को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और इस मामले में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. सफल बोलीदाता को अनुबंध मिलने के 15 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य का 10% ई-पीबीजी/ e-PBG (ई-परफॉर्मेंस बैंक गारंटी) जमा करना होगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद वापस कर दी जाएगी और अनुबंध के सफल समापन के बाद वापस कर दी जाएगी।

8. बयाना राशि जमा (EMD) जब्त कर ली जाएगी, यदि

(i) बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान बोली वापस ले लेता है;

(ii) बोलीदाता सेवाओं या उसके भाग के लिए अपने द्वारा उद्धृत मूल्य का सम्मान करने में विफल रहता है या उसे अस्वीकार कर देता है;

(iii) सफल बोलीदाता अनुबंध दिए जाने के 15 दिनों के भीतर अपेक्षित परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(iv) सफल बोलीदाता नियत तिथि से सेवाएं शुरू करने में विफल रहता है; और

ऐसे बोलीदाताओं को भविष्य में निविदा देने से भी वंचित किया जा सकता है।

9. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन नए होने चाहिए या तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए - वाहन के क्रय की तिथि 01 जनवरी 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए।

10. यदि किसी कारणवश वाहन/चालक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं (जिसमें वाहन का खराब होना, वाहन का रख-रखाव आदि शामिल है) तो एजेंसी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

11. यदि वाहन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तो कार्यालय स्वयं उसकी व्यवस्था करेगा तथा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल से किराए पर लिए गए वाहन के अनुसार व्यय की कटौती की जाएगी। वाहन के किराए के अतिरिक्त ₹500 प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

12. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने चाहिए।

13. एजेंसी द्वारा एक लॉग बुक रखी जाएगी और इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी।

14. मरम्मत, रखरखाव और चालक के वेतन से संबंधित सभी जिम्मेदारियाँ और खर्च एजेंसी द्वारा वहन किए जाएँगे।

15. वाहनों को हैदराबाद-सिकंदराबाद के ट्विन सिटी के साथ-साथ यात्रा के लिए तेलंगाना राज्य के भीतर कहीं भी चलाने की आवश्यकता होगी।

16. दैनिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदाता वाहनों और चालकों में बदलाव या क्रमावर्तन नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि यदि किराएदार आकस्मिकता या अनुपयुक्तता की स्थिति में संकेत दे।

17. वाहनों में निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक उपकरण/उपयोगिताएँ लगी होनी चाहिए:

(i) साफ सीट कवर;

(ii) गुणवत्तापूर्ण रेडियो संगीत प्रणाली;

(iii) मानसून के दौरान छाता;

(iv) सैनिटाइज़र एवं कार फ्रेशनर;

18. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी यात्रियों और चालक सीट के लिए सुरक्षा बेल्ट अच्छी स्थिति में उपलब्ध हों। वे समय-समय पर सरकारी विभागों/सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सभी सुरक्षा नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।

19. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि वाहनों का उचित तरीके से बीमा किया गया हो, किराए पर लिए गए वाहन के संबंध में कोई भी सरकारी कर/शुल्क और अन्य सभी वैधानिक बकाया राशि का पूर्ण और समय पर भुगतान किया गया हो और मोटर वाहन अधिनियम/नियमों/अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया हो। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तेलंगाना का कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एजेंसी की ओर से किसी भी चूक की भरपाई केवल एजेंसी द्वारा ही की जाएगी।

20. इस सेवा अनुबंध के अंतर्गत किराए पर लिए गए वाहनों की ड्यूटी के दौरान या उसके बाद पार्किंग की जोखिम और जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। तथापि, सेवा प्रदाता विभाग को पार्किंग सुविधा का पता सूचित करेगा और विभाग को जब भी आवश्यक समझा जाए, ऐसी पार्किंग सुविधा का निरीक्षण करने का अधिकार है।

21. वाहन के आगे और पीछे दोनों तरफ एक उपयुक्त प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस पर आरटीओ नियमों और विनियमों के अनुपालन के अधीन "भारत सरकार सेवार्थ (कार्यालय महालेखाकार - भा.ले.प. एवं ले.वि.)" लिखा हो।

22. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए चालक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

(i) उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए;

(ii) वे धूमपान, पान/पान मसाला/तम्बाकू चबाना नहीं कर सकते;

(iii) उनकी कार में यात्रा कर रहे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रतिकूल गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए; और

(iv) उसे निविदा प्राधिकारी के अनुसार चालक के लिए आचार संहिता का पालन करना चाहिए।

23. यदि चालक का व्यवहार आपत्तिजनक पाया जाता है, तो एजेंसी 24 घंटे के भीतर उसे बदलकर नया चालक नियुक्त करेगी। यदि एजेंसी ऐसा करने में असमर्थ है, तो प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

24. चालक को जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध रहना होगा; उन्हें प्रभारी अधिकारी के निर्णय से महीने में 4 (चार) दिन (आमतौर पर रविवार) की छुट्टी दी जाएगी।

25. चालकों के पास दोनों तरफ से संपर्क की सुविधा हेतु मोबाइल फोन होना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में बात-चीत करनी आनी चाहिए।

26. वाहन चालकों या एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए पुलिस/मोटर वाहन विभाग द्वारा किए गए चालान, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी।

27. वाहन में GPS/वाहन ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना चाहिए।

28. वाहन चालकों सहित चौबीसों घंटे इस कार्यालय के लिए उपलब्ध होना चाहिए। किलोमीटर की गणना के लिए शून्य-आधारित माइलेज यानी ड्यूटी या ड्रॉप ऑफ स्थान से शुरू होने और समाप्त होने वाले माइलेज को अपनाया जाएगा। वाहन को ड्यूटी के समय कार्यालय परिसर में पार्क किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

29. जब भी वाहन को बाहरी ड्यूटी पर जाना होगा, तो रात भर बाहर रहने पर 500 रुपये प्रति रात्रि की दर से रात्रि भत्ता/चालक भत्ता दिया जाएगा। कार्यालय चालक के रहने की कोई व्यवस्था नहीं करेगा।

30. यात्रा के दौरान भुगतान किए गए टोल टैक्स/पार्किंग की **भुगतान रसीद** मासिक बिल के साथ जमा करने पर वापस कर दी जाएगी। सभी प्रकार के परमिट शुल्क/सभी प्रकार के प्रवेश कर केवल **बाहरी यात्रा के मामले में** एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे।

31. यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं तो इस कार्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

32. 30 दिनों के सूचना पर अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है; तथापि एजेंसी वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक या सूचना अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के बाद, जो बाद में हो, तक सेवाएं जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

33. अनुबंध की अवधि के दौरान वाहन केवल इस कार्यालय के अधीन रहेंगे।

34. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन कार्यालय को दिए जाने वाले अधिकृत वाहन होंगे तथा इस मामले में किसी भी प्रकार की चूक की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

35. यदि रखरखाव या मरम्मत जैसे किसी कारण से किसी विशेष दिन विभाग को वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो विभाग बाजार से वाहन किराए पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान से शुल्क वसूल किया जाएगा।

36. यदि किसी विशेष माह में किलोमीटर की बचत की सूचना दी जाती है (2,000 किलोमीटर से अधिक) तो किलोमीटर की विशिष्ट बचत को आगे ले जाया जाएगा, ताकि अतिरिक्त किलोमीटर को निष्प्रभावी किया जा सके, जो प्रति वाहन प्रति वर्ष 24,000 किलोमीटर तक सीमित होगा। अंतिम निपटान वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद किया जाएगा।

37. मासिक बिल प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाए तथा चालक को समय पर वेतन का भुगतान करने का दायित्व एजेंसी की होगी, मासिक बिल के दावे का निपटान हुआ या नहीं।
38. चालक को समय पर वेतन का भुगतान करने का दायित्व एजेंसी की होगी, मासिक बिल के दावे का निपटान हुआ या नहीं।
39. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन ठेकेदार का दायित्व है। ठेकेदार को सेवा अनुबंध के तहत नियुक्त अपने कर्मियों को श्रम कानूनों के अनुसार श्रम शुल्क, वेतन और अन्य भुगतानों का नियमित और पूर्ण भुगतान करें, अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से या वेतन को उनके संबंधित बैंक खातों में जमा करें और जब भी आवश्यक हो, अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करें।

40. यह कार्यालय किराये की अवधि के दौरान या उसके बाद सेवा प्रदाता के किसी भी कर्मचारी को कानूनी तौर पर या अन्यथा रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। कार्यालय सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मियों और कार्यालय के बीच किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मान्यता नहीं देगा। सेवा प्रदाता द्वारा तैनात वाहन या चालक या व्यक्ति को किराये की अवधि के दौरान वित्तीय या अन्यथा होने वाले किसी भी चोट/नुकसान के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

41. किसी दुर्घटना की स्थिति में, उससे उत्पन्न होने वाले सभी दावों और क्षतियों का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

42. कार्य निष्पादन में हुई लापरवाही के कारण या अन्यथा सेवा प्रदाता या उसके कर्मचारियों या किसी

व्यक्ति या जनता के किसी भी सदस्य या किसी व्यक्ति की संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए किए जाने वाले सभी दावों और मांग के लिए सेवा प्रदाता विभाग को क्षतिपूर्ति करने का वचन देगा।

43. उपर्युक्त किसी भी निबंधन व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश रद्द करने का अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी तथा ईएमडी/पीबीजी के रूप में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

44. यदि एक से अधिक बोलीदाता न्यूनतम दर उद्धृत करते हैं, तो GeM पोर्टल के दिशानिर्देशों के अनुसार खरीदार के पास अनुबंध के लिए दो विकल्प होंगे:

(i) GeM प्रणाली द्वारा संचालित रैंडम एल्गोरिदम के माध्यम से एल-1 बोलीदाताओं में से एक एजेंसी का चयन करके अनुबंध का प्रावधान; या

(ii) क्रेता द्वारा उपयुक्त आंतरिक अनुमोदन के साथ उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मानदंड के आधार पर एल-1 बोलीदाताओं में से किसी एक को अनुबंध सौंपना।

45. पिछले तीन वर्षों का कुल वार्षिक टर्नओवर GeM द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप होनी चाहिए।

46. किमी यात्रा: 25,000 या उससे कम

47. आवश्यकता पड़ने पर विभाग को अनुबंधित वाहनों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। कार्यालय में तैनात अधिकारियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से प्राप्त मंजूरी के आधार पर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या भिन्न हो सकती है।

48. सेवा प्रदाता के पास स्वयं के वाहनों का बेड़ा (06) होना चाहिए, ताकि कार्यालय को उपलब्ध कराए गए नियमित वाहन के उपलब्ध न होने की स्थिति में तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

49. अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान, यदि पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग, टायर, लुब्रिकेंट आदि की लागत में कोई वृद्धि होती है, तो दरों में "कोई" वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।

50. अतिरिक्त किलोमीटर की दर, अतिरिक्त घंटे की दर, जुर्माना GeM के अनुबंध के सेवा स्तर के अनुसार लगाया जाएगा।

51. सेवा प्रदाता और चालक उस कार्यालय और उपयोगकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसे वाहन सौंपा गया है।

52. मासिक आधार पर उपलब्ध कराए गए वाहन का उपयोग निरीक्षण उद्देश्यों और इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता समान दरों पर उच्च मूल्य और श्रेणी का वाहन उपलब्ध कराना चाहता है, तो कार्यालय को अन्य नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

53. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद का कार्यालय अन्य शर्तों की पूर्ति की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है जो इस कार्यालय के साथ किराए पर वाहनों के उपयोग के अनुरूप हैं, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या पूरे निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है।

54. विवाद की स्थिति में, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

वाहन चालकों के लिए आचार संहिता

1. चालक उचित/सुव्यवस्थित वर्दी में होंगे। उन्हें सुस्वच्छ एवं समयनिष्ठ होना चाहिए।
2. वे अधिकारी द्वारा दिए गए निर्दिष्ट समय पर ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करेंगे।
3. वे ड्यूटी शुरू होने से पहले वाहन को साफ-सुथरा रखेंगे और उसका दैनिक निरीक्षण करेंगे।
4. जब अधिकारी वाहन में चढ़ेंगे या उतरेंगे, तो वे कार का दरवाजा खोलेंगे/बंद करेंगे।
5. चालकों के पास दोनों तरफ से संपर्क की सुविधा हेतु मोबाइल फोन होना चाहिए, परंतु वे गाड़ी चलाते समय एवं अधिकारी की मौजूदगी में मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।
6. चालक और एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्यूटी पर तैनात चालक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि) उपलब्ध हों।
7. चालक डुओ-सिटी में मार्गों और स्थानों से अच्छी तरह परिचित होने चाहिए तथा वे वाहनों की दैनिक लॉग बुक बनाए रखेंगे।
8. वे वाहन के लिए मरम्मत/क्षति रजिस्टर बनाए रखेंगे।
9. यदि आवश्यक हो तो वे वाहन को कार्यशाला में ले जाने के लिए अधिकारी से अनुमति लेंगे।
10. चालक सार्वजनिक स्थल पर वाहनों को बिना देख-रेख के नहीं छोड़ेंगे।
11. अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना चालक ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होंगे।
12. किसी भी मामले में चालकों को इस कार्यालय द्वारा नामित उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त, वाणिज्यिक आधार पर किसी अन्य यात्री को ले जाने की अनुमति नहीं है।
13. वे सभी यातायात नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करेंगे तथा कभी भी अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसके अतिरिक्त वाहन को निर्धारित क्षेत्र में पार्क किया जाएगा।

<u>प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज</u>

(तकनीकी बोली के साथ विक्रेता द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे)

1. पेश किए जा रहे वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (***तेलंगाना*** राज्य में पंजीकृत होना चाहिए और ***वाणिज्यिक वाहन*** के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है)।
2. पेश किए जा रहे वाहन का ओडोमीटर रीडिंग विवरण (यदि यह 2022-23 मॉडल है, तो वाहन के भौतिक निरीक्षण के दौरान जाँच की जाएगी, यदि नया वाहन पेश किया जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है)।
3. वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
4. वैध टैक्सी पंजीकरण प्रमाणपत्र (नए वाहन के मामले में, खरीद के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
5. इस आशय का स्व-प्रमाणपत्र कि बोलीदाता को केंद्र/राज्य सरकार/सांविधिक निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और ऐसे पार्टियों के साथ उसके पिछले समझौतों को खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त नहीं किया गया है।
6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के लिए बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार (भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ श्रेणियों के लिए छूट दी गई है)।
7. PAN की प्रति।
8. चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस।
9. अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य) (भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ श्रेणियों के लिए छूट दी गई है)।
10. औसत वार्षिक कारोबार और अनुभव में छूट का दावा करने के लिए एमएसएमई के लिए उद्योग आधार/उद्यम आधार जैसे छूट प्रमाणपत्र।
11. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग/सांविधिक निकाय के साथ कार्य आदेश/अनुबंध की प्रतियां, यदि कोई हो।
12. EMD (बयाना राशि जमा)।
13. कार्यालय का पता।
14. रखी गई कार के बेड़े का विवरण।

अनुबंध-I

(एजेंसी के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

एजेंसी का नाम और पता	
मालिक का नाम और पता	
पैन एवं सेवा कर संख्या (प्रतियां संलग्न की जाएं)	
सरकारी विभाग/पीएसयू/निजी क्षेत्र में पिछले अनुभव (पिछले 03 वर्ष) का विवरण, यदि कोई हो	
औसत टर्नओवर का विवरण (पिछले 03 वर्ष यानी 2021-22,2022-23 और 2023-24)	
वाहन का विवरण (निर्माण, ईंधन का प्रकार, खरीद का वर्ष और पंजीकरण संख्या)।	
क्या किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा काली सूची में डाला गया है?	
बयाना राशि जमा का विवरण	

मालिक /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :
हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम :
मालिक का नाम :

दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो)	:
मोबाइल नंबर	:
ईमेल आईडी	:
तारीख	:

घोषणापत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार पूर्ण एवं सठीक है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर उपरोक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है; तो कंपनी/एजेंसी/मालिक/ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा भविष्य में विभाग के साथ उसका कोई लेन-देन नहीं होगा।

(दिनांक के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)